

क्रमांक एक 73-34/2011/20-3

भारत दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
पीठ विहार, नई दिल्ली।

विषय :-

अध्यासकीय शिक्षण संस्था की प्रशासन की एस्कॉल चक्रान्त
माध्यमिक विद्यालय, छिंदवाड़ा का सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र
के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने
के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा
(MO प्र०) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना
होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में दान्तीय उच्चतम न्यायान्त्य द्वारा दिए गए निर्देशों
के अनुसार क्रियशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था
होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध
में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को
करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. आर. उपध्याय)

उत्तर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा

32
28/11/11

1 / 2 / 1

पृष्ठ 0 एफ क्रमांक एफ 73-34 / 2011 / 20-3

मोपाल दिनांक 2. / 6 / 11


प्रतिलिपि --

1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था संत एी आशाराम जी गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता/मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिग्ग शर्तों पर प्रदान की जायी है --

(1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करणी है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।

(2) स्थिति 3. अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्राप्त प्रमाण-पत्र ग्राह्य-पत्र के माध्यम से जांच के लिये पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण, मोपाल, न.प्र.।
3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा, मोप्र.।
4- ऑर्डर बुक ।

 - 26/6/11

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग
26/6/11